

कार्यालय : जिला परिषद, चतरा।

(Phone: 06541.222288, E.mail: districtboardchatra@gmail.com)

सूचना

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 15(2) के द्वारा ग्राम पंचायत में एवं झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 33(1)(ड.) सहपठित धारा 36(क)(6) एवं 36(ख)(8) के द्वारा पंचायत समिति तथा धारा 49(1)(ड.) सहपठित 51(क)(6) एवं 51(ख)(7), (8) जिला परिषद में एक व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा एक-एक विशिष्ट व्यक्ति को मनोनयन करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद में एक-एक व्यक्ति को राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाना है।

उक्त के आलोक में जिला परिषद के लिए विशिष्ट व्यक्ति के मनोनयन के लिए विहित प्रपत्र एवं शर्तें कार्यालय नोटिस बोर्ड/कार्यालय अथवा से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही संबंधित प्रपत्र निबंधित डाक के माध्यम से जमा करने की अन्तिम तिथि 15/09/17 निर्धारित की जाती है। जिसका पत्रालय पता— उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, चतरा, पिन कोड—825401 है।

80 —

उप विकास आयुक्त—सह—
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, चतरा।

प्रतिलिपि:— झापांक 466...../जि.प. दिनांक 03-07-17
जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, Chatra को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उपरोक्त विज्ञापन एवं पत्र के साथ संलग्न विज्ञप्ति को इस जिले के वेबसाईट (www.chatra.nic.in) पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

80 —

उप विकास आयुक्त—सह—
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, चतरा।

प्रतिलिपि:— झापांक 466...../जि.प. दिनांक 03-07-17
जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि उपरोक्त विज्ञापन को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय प्रेषित।

उप विकास आयुक्त—सह—
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, चतरा।